बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक 1469 / पटना, दिनांक 06/09 / 2016

सं०सं०-ह०क०(14)योजना (मेगा हैण्ड० कलस्टर)-02 / 2016

प्रेषक,

अपर उद्योग निदेशक(तक0),
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
भागलपुर / बाँका।

विषयः– **भागलपुर मेगा हैण्डलूम कलस्टर योजनान्तर्गत स्वीकृत 10 प्रखण्ड स्तरीय कलस्टर के लिए खोले गये बैंक खाता का संचालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक– 7/1/2016-DCH/NHDP/Cluster दिनांक–13.07.2016 (छाया प्रति संलग्न) में प्रावधान किया गया है कि भागलपुर मेगा हैण्डलूम कलस्टर योजनान्तर्गत स्वीकृत 10 प्रखण्ड स्तरीय कलस्टर के लिए खोले गये बैंक खाता का संचालन संयुक्त रूप से हो। यानि बैंक खाता का संचालन कार्यान्वयन अभिकरण के प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से किया जाय। इस निमित राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न पदाधिकारी को इस हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

(i) भागलपुर जिला के कार्यान्वयन एजेंसी का बैंक खाता – महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर।

(ii) बांका जिला के कार्यान्वयन एजेंसी का बैंक खाता – महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका।

2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
अपर उद्योग निदेशक(तक0),
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1469 / पटना, दिनांक– 06/09/16

प्रतिलिपि– सभी कार्यान्वयन अभिकरण / परियोजना के नोडल पदाधिकारी, श्री प्रभाष चन्द्र सिंह, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.09.16
अपर उद्योग निदेशक(तक0),
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

D:\Dilip kumar\2016\Ishtiyak aamad\Letter\ Letter